राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
श्रम विभाग, दिल्ली सरकार
5–शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054

तारांकित प्रश्न संख्या : 54
दिनांकः 26 अगस्त, 2019
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सुरेन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, दिल्ली विधानसभा
माननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों के प्रत्येक श्रेणी के निश्चित न्यमूनतम मजदूरी का पूरा ब्यौरा, इसके सविस्तार विवरण सहित बताइये,	श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन हेतु छह श्रेणियाँ निर्धारित की गयी हैं, जो कि निम्न हैं :– (1) अकुशल, (2) अर्द्धकुशल, (3) कुशल, (4) जो मैट्रिक पास न हो, (5) मैट्रिक पास हो, परन्तु स्नातक न हों और (6) स्नातक और उससे अधिक । श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार माह अप्रैल और माह अक्तूबर में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है । श्रमिकों का श्रेणीवार न्यूनतम वेतन संलग्नक 'क' पर अंकित है ।
ख	न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के लिए नियत कार्य अवधि बताइये,	श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने हेतू कार्य अवधि 8 घंटे की होती है ।
ग	क्या कुछ सरकारी विभागों में बाहरी श्रमिकों से निर्धारित कार्यों के घंटो से अधिक घंटे काम करने के लिए विवश किया जाता है,	इस विषय में यदि श्रम विभाग, दिल्ली सरकार को सरकारी विभागों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।
घ	यदि हाँ, तो उनसे अधिक घंटे कार्य कराने के लिए किस प्रकार की समयोपरि राशि का भुगतान किया जाता है, इसका पूरा ब्यौरा दीजिए,	यदि श्रमिक 8 घंटे से अधिक कार्य करता है तो 8 घंटे की बाद की अवधि के लिए वह सामान्य मजदूरी दर की दुगुने दर से मजदूरी पाने का हकदार है ।
च	यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, इसका पूरा विवरण दीजिए,	–उपरोक्तानुसार–
छ	सरकार की जानकारी में आये विभिन्न विभागों या ठेकेदारों द्वारा उल्लंघन	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जनवरी 2018 से जून 2019 तक मैट्रोपोलिटन

Secretary cum Commissioner
(Labour)

Scanned by CamScanner

	किये गये सांविधिक उपबंधों का पूरा ब्यौरा बताइये,	मजिस्ट्रेट की अदालत में 1373 प्रबंधकों / ठेकेदारों के विरूद्ध चालान प्रेषित किये गये ।
ज	क्या सरकार द्वारा संविदा कामगारों की सेवाओं की समाप्ति रोकने के लिए कुछ आदेश जारी किये हैं और	जी हाँ ।
झ	यदि हाँ, तो इसका पूरा विवरण दीजिए ?	दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा इस विषय में दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 को कैबिनेट निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत पुराने ठेकेदार के ठेके की समाप्ति के बाद नये ठेकेदार द्वारा पुराने ठेकेदार के कम से कम 80 प्रतिशत कर्मचारियों को काम पर रखा जायेगा ।

विवेक

सचिव सह आयुक्त (श्रम)
Secretary cum Commissioner
(Labour)

Scanned by CamScanner

संलग्नक : क

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
श्रम विभाग, दिल्ली सरकार
5–शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2018 के उपरांत 01.11.2018 से प्रभावी न्यूनतम वेतन (01.04.2017, 01.04.2018 और 01.10.2018 से प्रभावी महंगाई भत्ता को मिलाकर)

श्रेणी	अधि. दिनांक 03.03.2017 द्वारा संशोधित न्यूनतम वेतन की दरें (रुपये में)	01.04.2017 से प्रभावी महंगाई भत्ता (रुपये में)	01.04.2018 से प्रभावी महंगाई भत्ता (रुपये में)	01.10.2018 से प्रभावी महंगाई भत्ता (रुपये में)	न्यूनतम वेतन की दरें (रुपये में)	
					प्रति माह	प्रति दिन
अकुशल	13350.00	234.00	312.00	104.00	14000.00	538.00
अर्द्धकुशल	14698.00	260.00	338.00	104.00	15400.00	592.00
कुशल	16182.00	286.00	390.00	104.00	16962.00	652.00
जो मैट्रिक पास न हो	14698.00	260.00	338.00	104.00	15400.00	592.00
मैट्रिक पास, परन्तु स्नातक नहीं	16182.00	286.00	390.00	104.00	16962.00	652.00
स्नातक एवं उससे अधिक	17604.00	312.00	416.00	130.00	18462.00	710.00

विवेक

Secretary cum Commissioner
(Labour)

Scanned by CamScanner